संख्या - 110/एनजीओ 49/84-2-2013-सीपी 34/2006 टीसी

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सीतापुर।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 19 दिसम्बर, 2013

विषय उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता/अनुदान प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक संगठन के प्राप्त आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच आख्या एवं संस्तुति उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता/अनुदान प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक संगठन ''ग्रामीण क्राफ्टस, बी-49, नारायण नगर, फेज-2, रवीन्द्र पल्ली, लखनऊ'' का जनपद *सीतापुर* में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम/कन्ज्यूमर क्लब के गठन हेतु प्रस्ताव शासन में प्राप्त हुआ है।

2. इस सम्बन्ध में उक्त प्रस्ताव को मूल रूप में संलग्न कर **(वापसी अपेक्षित)** प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासनादेश संख्या-सीपी 1004/29-8-2006-सीपी 16/2003, दिनांक 13.10.2006 द्वारा गठित जनपद स्तरीय जांच कमेटी के माध्यम से उक्त स्वैच्छिक संगठन द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में किये गये कार्यो, उसके लेखा तथा बैंक एकाउन्ट की जांच कराते हुए शासनादेश संख्या-सीपी 776/84-2-2008-सीपी 16/2003, दिनांक 17.09.2008 द्वारा निर्धारित नवीन मार्गदर्शक सिद्धान्त के आलोक में भी प्रश्नगत स्वैच्छिक संगठन के प्रस्ताव का परीक्षण कराकर तथा कन्ज्यूमर क्लब के गठन से संबंधित शासनादेश संख्या-सीपी 154/84-2-2009-सीपी 16/2003, दिनांक 01.04.2010 द्वारा निर्धारित नवीन दिशा-निर्देशों का समावेश कर आवश्यक अभिलेखों के साथ उक्त संस्था को अनुदान दिये जाने अथवा न दिये जाने के संबंध में अपनी स्पष्ट संस्तुति शासनादेश संख्या-सीपी 653/84-2-2009-सीपी 34/2006, दिनांक 30.11.2009 द्वारा निर्धारित समयावधि के अंतर्गत उक्त संस्था को अनुदान दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट संस्तुति, कमेटी के बैठक का कार्यवृत्त एवं प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आख्या में कृपया इस तथ्य का भी विशेष रूप से उल्लेख किया जाय कि संस्था ब्लैकलिस्टेड/प्रतिबंधित तो नहीं है?

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in